मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०२५

मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, २०२५

मध्यप्रदेश में ईज ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस के लिए विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपराधों के अपराधमुक्तकरण और तर्कसंगतिकरण के लिए कतिपय अधिनियमितियों को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, २०२५ है. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(२) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे मध्यप्रदेश सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों से संबंधित संशोधनों के लिए अलग-अलग तारीखें नियत की जा सकेंगी.

२. अनुसूची के कॉलम (४) में उल्लिखित उपबंधों को, कॉलम (५) में वर्णित सीमा तक और वर्णित रीति में, एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है. कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन.

३. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से, किसी अन्य अधिनियमिति पर, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है, प्रभाव नहीं पड़ेगा; व्यावृत्ति.

और यह अधिनियम, पूर्व में की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर, प्रभाव नहीं डालेगा;

और यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप में या अनुक्रम पर, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमशः किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा, जो कि एतदद्वारा, निरसित की गई है, उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यता प्राप्त है या व्युत्पन्न है;

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा.

अनुसूची

(धारा २ देखिए)

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१.	१९४८	८	मध्यप्रदेश मत्स्य अधिनियम, १९४८.	(१) धारा ३ की उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :- "(३) (क) अंतर्देशीय जल में विस्फोटकों, रासायनिक पदार्थों, अग्न्यास्त्रों, धनुष-बाणों अथवा अन्य इस प्रकार के उपकरणों द्वारा मछलियों को नष्ट करना या नष्ट करने का कोई भी प्रयास करना निषिद्ध होगा; (ख) उन ऋतुओं का निर्धारण करना जिनके दौरान किसी अधिसूचित प्रजाति की मछलियों को मारना, पकड़ना अथवा विक्रय करना निषिद्ध होगा; (ग) वह न्यूनतम आकार या भार, जिससे की किसी विहित प्रजाति की मछली विहित करना जिसका कि क्रय नहीं किया जाएगा;

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
				(घ) इस अधिनियम के अधीन विहित किए गए नियमों के अधीन निर्धारित न्यूनतम जाल आकार से छोटे जाल का उपयोग कर मछली पकड़ने पर निषेध रहेगा. (ङ) बिना पट्टा मछली पकड़ना प्रतिबंधित होगा.". (२) धारा ५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात:- "५ **शास्तियां.**- (१) कोई भी व्यक्ति, जो धारा ३ की उपधारा (३) के खण्ड (क) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह दोषसिद्धि पर ऐसे कारावास की अवधि से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा. (२) यदि, कोई व्यक्ति धारा ३ की उपधारा (३) के खण्ड (ख) में उल्लिखित उपबंध का उल्लघंन करता है, तो वह ऐसी शास्ति का जो दो लाख रुपये तक की होगा सकेगी, दायी होगा तथा धारा ३ की उपधारा (३) के खण्ड (ग), (घ) एवं (ङ) में वर्णित अपराधों के लिए, वह ऐसे शास्ति, का जो रुपये पचास हजार तक की हो सकेगी, दायी होगा जो संचालक मत्स्योद्योग अथवा किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी.". (३) धारा ५-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "५-क **अपराध का संज्ञान.**- इस अधिनियम के अधीन धारा ३ की उपधारा (३) के खण्ड (क) में वर्गीकृत अपराध संज्ञेय होंगे.". (४) धारा ८ लोप किया जाए.
२.	१९४८	१	मध्यप्रदेश एग्रीकल्चर वेअरहाउस एक्ट, १९४७.	(१) धारा २३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :- "२३. **शास्ति.**- (१) कोई भी व्यक्ति जो जानकारी रहते और जानबूझकर, इस अधिनियम की धारा १५, धारा १६ तथा धारा १८ अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या अध्यपेक्षाओं का उल्लंघन करता है, तो उसे दोषसिद्धि पर मजिस्ट्रेट द्वारा ३ वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का दायी होगाः परन्तु, इस अधिनियम के अधीन अपराध, न्यायालय की सहमति से शमनीय होंगे. (२) जो कोई भी व्यक्ति जानकारी रहते हुए या जानबूझकर, इस अधिनियम की धारा १५, १६ तथा १८ या इसके अधीन बने नियमों से भिन्न उपबंधों या अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है तो वह इस अधिनियम की अनुसूची में यथाविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित किए जाने का दायी होगा. (२) धारा २४ के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:- "२५. **अपील.**- (१) कोई भी भंडारी जो इस सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित होता है तो उक्त आदेश जारी होने से ३० दिवस के भीतर आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा.

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
				(२) यदि कोई भण्डारी, आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा जारी किसी आदेश से व्यथित होता है तो उक्त आदेश के जारी होने से ४५ दिवस के भीतर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा.".
				(३) धारा २५ के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाए, अर्थात्:-

अनुसूची-१

क्रमांक	धारा	उपधारा	उपबंध	सक्षम प्राधिकारी	पेनाल्टी के उपबंध
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१.	०३	(२)	मध्यप्रदेश कृषि भण्डारगृह अधिनियम, १९४७ के अंतर्गत बिना अनुज्ञप्ति के भण्डारगृह का व्यवसाय करना.	आयुक्त/संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	५००० मे.टन क्षमता तक के गोदामों पर ०१ लाख रुपये तक ५००० मे.टन से अधिक क्षमता के गोदामों पर ३ लाख रुपये तक
		(३)	लाईसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं करने पर (वैधता अवधि की समाप्ति के तीन माह तक)	आयुक्त/संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	रु. ५ हजार तक
			लाईसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं करने पर (वैधता अवधि की समाप्ति के तीन माह बाद से छह माह तक)		रु. १० हजार तक
			लाईसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं करने पर (वैधता अवधि की समाप्ति के छह माह के बाद)		लाईसेंस का निरस्तीकरण
२.	१२	-	जमाकर्ता द्वारा जमा की गई उपज की किराया राशि के भुगतान सहित वेयरहाउस रसीद को देते हुये उपज को लौटाने की मांग करने पर वैधानिक कारण के अभाव में भण्डारी द्वारा विलंब से उपज को लौटाने पर.	कलेक्टर	विलंबित अवधि का सम्पूर्ण भण्डारण शुल्क राशि एवं भुगतान योग्य स्कंध की वास्तविक राशि का ०३ प्रतिशत तक
३.	१३	-	गोदाम में भंडारित उपज का विहित उपबंध अनुसार बीमा नहीं कराया जाना.	कलेक्टर	गोदाम में भण्डारित उपज की राशि हेतु निर्धारित मासिक प्रीमियम राशि का पांच गुना राशि तक.

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३.	१९५६	२३	मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६	(१) धारा १९५ में, उपधारा (५) में, शब्द "जुर्माना" जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर, शब्द "शास्ति" स्थापित किया जाए.
४.	१९६१	३७	मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१	(१) धारा २०८ में, उपधारा (५) में, शब्द "जुर्माना" जहां कही भी आया हो के स्थान पर, शब्द "शास्ति" स्थापित किया जाए.
५.	१९७१	५	मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७०	(१) धारा ३५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "३५. शास्ति.- जो कोई जानबूझकर या मिथ्या रूप से अपने नाम के साथ कोई ऐसी उपाधि या लक्षण धारण करेगा या उपयोग में लाएगा जिससे कि यह विवक्षित होता हो कि वह मान्य अर्हता धारण करता है या कि वह रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी है या कि उसका नाम धारा २८ के अधीन बनाए रखी गई सूची में प्रविष्ट है, अथवा धारा ३४ के उपबंधों के उल्लघंन में कार्य करेगा, वह प्रथम उल्लघंन के लिए ऐसी शास्ति से, जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी और प्रत्येक पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति से जो एक लाख तक की हो सकेगी, दायी होगा.".
६.	१९७३	२४	मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, १९७२.	(१) धारा ४८, के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- **"४८. धारा ६ या धारा ३१ या धारा ३७ की उपधारा (२) के उल्लंघन के लिए शास्ति.-** (१) जब मंडी समिति के सचिव के संज्ञान में आता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा धारा ६ की उपधारा (ख) या धारा ३१ के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है तब समुचित जांच करने और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, पहले उल्लंघन के लिए रुपये एक लाख तक की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसी राशि की वसूली की जाएगी. पश्चात्वर्ती उल्लंघन पर, दोषसिद्ध होने पर, उसे अधिकतम छह माह तक का कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा. (२) जो कोई धारा ३७ की उपधारा (२) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में ऐसे और जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके कि दौरान उल्लंघन चालू रहा है, एक हजार रुपये तक हो सकेगाः परंतु न्यायालय के निर्णय में विशेष तथा पर्याप्त प्रतिकूल कारणों के वर्णित न होने पर द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए दंड तीन मास की अवधि के कारावास तथा पांच हजार रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगा." (२) धारा ४९ में,- (एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)

"(१) (क) जो कोई व्यक्ति धारा ३५ के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह पांच हजार रुपये की शास्ति का दायी होगा तथा पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए रुपये एक हजार प्रतिदिन की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी, जब तक कि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है. इस उल्लंघन के कारण जो वित्तीय क्षति हुई है, वह वसूली जाएगी;

(ख) यदि ऐसा उल्लंघन मंडी समिति के सचिव के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा कारित किया गया हो, तो उस पर सचिव द्वारा शास्ति अधिरोपित की जाएगी;

(ग) यदि ऐसा उल्लंघन, मंडी समिति के सचिव द्वारा कारित किया गया हो, तो उस पर मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक द्वारा शास्ति अधिरोपित की जाएगी.".

(दो) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थातः-

"(२) जो कोई मंडी समिति द्वारा मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो रुपये पांच हजार तक की हो सकेगी, जो मण्डी समिति सचिव द्वारा अधिरोपित की जाएगी."

(तीन) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"(४) यदि मंडी समिति का कोई अधिकारी, सेवक या सदस्य, जबकि वह मंडी समिति के कार्यकलापों या कार्यवाहियों के बारे में जानकारी देने के लिए धारा ५४ की उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन अपेक्षित किया जाए,-

(क) कोई जानकारी देने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा या कोई जानकारी देने से इंकार करेगा; या

(ख) जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा, तो वह शास्ति से, जो रुपये एक लाख तक की हो सकेगी, दायी होगा.

(चार) उपधारा (६) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थातः-

"(६) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के उपबंधों के अधीन मंडी समिति को शोध्य किसी फीस या अन्य राशि के भुगतान में कपटपूर्वक अपवंचन करेगा या किन्हीं तुलैयों या हम्माल को पारिश्रमिक लेखे शोध्य भुगतान करने में अपवंचन या अपने नियोजन के लिए पारिश्रमिक की मांग विक्रेता अथवा क्रेता के प्राधिकार के बिना करेगा या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के अनुसार न मांग कर अन्य प्रकार से पारिश्रमिक की मांग करेगा, वह उस पर, मंडी समिति के सचिव द्वारा अधिरोपित शास्ति से, जो रुपये पांच हजार तक की हो सकेगी का दायी होगा और पश्चातवर्ती उल्लंघन की स्थिति में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, रुपये एक हजार प्रतिदिन की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी:

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
				परन्तु कुल शास्ति राशि, वास्तविक बकाया राशि की पाँच गुना से अधिक नहीं होगी.". (पांच) उपधारा (७) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "(७) जो कोई इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में से किसी भी नियम या उपविधि के किसी ऐसे उपबंध का उल्लंघन करेगा, जिस के लिए कोई अन्य शास्ति उपबंधित न की गई हो, वह रुपये पांच हजार तक की शास्ति का दायी होगा, जो मंडी समिति के सचिव द्वारा, अधिरोपित की जाएगी.". (३) धारा ७६ की उपधारा (३) का लोप किया जाए. (४) धारा ८० की उपधारा (३) का लोप किया जाए.
७.	१९७३	४६	मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसविका, सहाय उपचारिका, प्रसविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७२.	(१) धारा २३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :- **"२३. इस अधिनियम में उपबंधित के सिवाय व्यवसाय का प्रतिषेध.-** (१) जब तक कि इस अधिनियम के अधीन अधिकृत न हो, कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर नर्स, प्रसविका, सहायक नर्स-प्रसविका, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के रूप में नियमित रूप से या व्यक्तिगत लाभ हेतु व्यवसाय नहीं करेगा. (२) जो कोई व्यक्ति उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करता है- (१) यदि उसके पास मान्यता प्राप्त योग्यता है, परन्तु वह परिषद् में पंजीकृत नहीं है, तो,- (क) प्रथम उल्लंघन पर, वह ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो रुपये दस हजार तक की हो सकेगी, जो रजिस्ट्रार द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी. (ख) द्वितीय तथा पश्चात्वर्ती उल्लंघनों पर, वह रजिस्ट्रार द्वारा अधिरोपित ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो परिषद् में पंजीकरण हेतु निर्धारित तीस दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, यदि उल्लंघन जारी रहता है प्रतिदिन पाँच सौ रुपये तक की हो सकेगी.".
८.	१९७३	४७	मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, १९७३.	(१) धारा ८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :- **"८. अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए शास्तियाँ.-** कोई व्यक्ति- (१) जो धारा ३ के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या (२) जो धारा ७ की उपधारा (२) के उपबंधों का उल्लघंन करता है; या (३) जो कोई इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी नर्सिंग होम या नैदानिक प्रतिष्ठान के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी होते हुए, ऐसे नर्सिंग होम या नैदानिक प्रतिष्ठान का उपयोग असामाजिक या अनैतिक कार्यों अथवा दोनों के लिए करता है या करने देता है, उस पर उल्लंघन के सत्यापित प्रमाण के आधार पर,- (एक) प्रथमबार उल्लंघन पर, पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित रुपये एक लाख तक की शास्ति का दायी होगा.

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
				(दो) दूसरी बार की दोषसिद्धि या पश्चात्वर्ती अपराध पर या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए वह कठोर कारावास से दण्डनीय होगा, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त वह जुर्माने से जो दोषसिद्धि के पश्चात् अपराध चालू रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक का हो सकेगा.". (२) धारा ८क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "**८क. कमियों के लिए शास्ति.-** कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी कमियाँ होती हैं जो किसी रोगी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आसन्न खतरा उत्पन्न करती हैं, जिन्हें उचित समयावधि में सुधारा जा सकता है, वह पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित ऐसी शास्ति का दायी होगा जो बीस हजार रुपये तक की हो सकेगी.". (३) धारा १० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "**(१०) अननुज्ञप्त या अपंजीकृत नर्सिंग होम अथवा रुजोपचार स्थापनाओं में सेवा देने पर शास्ति.-** जो कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे नर्सिंग होम अथवा रुजोपचार संबंधी स्थापना में सेवा देता है, जो इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से पंजीकृत या अनुज्ञापित नहीं है, अथवा जिसका उपयोग असामाजिक अथवा अनैतिक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है, वह पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित ऐसी शास्ति का दायी होगा जो दस हजार रुपये तक की हो सकेगी.".
९.	१९७६	१९	मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, १९७६.	धारा ५० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "**(५०) शास्ति.-** कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो ऐसे उल्लंघन पर, उस व्यक्ति पर पहली बार के उल्लंघन पर रुपये बीस हजार तक की शास्ति अधिरोपित किए जाने का दायी होगा और यदि ऐसा उल्लंघन किसी संस्था द्वारा किया गया हो, तो उस संस्था का प्रत्येक ऐसा सदस्य, जिसने जानते-बूझते या स्वेच्छा से उस उल्लंघन को अनुमोदित किया हो या उसकी अनुमति दी हो, उस पर पहली बार के उल्लंघन हेतु रुपये पचास हजार तक की शास्ति तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए रुपये एक लाख तक की शास्ति अधिरोपित की जाएगी.".
१०.	१९९०	११	मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७.	धारा २४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "**२४. शास्ति.-** (१) यदि कोई व्यक्ति, जिसके पास मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय योग्यता है, परन्तु जिसका नाम इस अधिनियम के स्थापित उपबंध अनुरूप नामांकित नहीं है, मध्यप्रदेश राज्य में चिकित्सकीय व्यवसाय करता है, तो,- (क) प्रथम उल्लंघन पर, वह रजिस्ट्रार द्वारा अधिरोपित ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो एक लाख रुपये तक की हो सकेगी.

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
				(ख) द्वितीय तथा पश्चात्वर्ती उल्लंघनों पर, वह रजिस्ट्रार द्वारा अधिरोपित ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो उस उल्लंघन के जारी रहने की तारीख से निर्धारित साठ दिवस की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रूपये तक की हो सकेगी. (२) यदि कोई व्यक्ति जिसके पास मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय योग्यता नहीं है और जिसका नाम इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नामांकित नहीं है, अथवा जो इस अधिनियम के अधीन झूठा दावा करता है कि उसके पास मान्यता प्राप्त योग्यता या पंजीकरण है, मध्यप्रदेश राज्य में चिकित्सकीय व्यवसाय करने पर, कठोर कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा.".
११.	१९९१	२५	मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान, अधिनियम, १९९१.	(१) धारा १२ का लोप किया जाए. (२) धारा १७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "**१७. इस अधिनियम अथवा नियमों के किन्हीं उपबंधों के भंग के लिए सामान्य उपबंध.**- कोई व्यक्ति जो अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह ऐसी शास्ति अधिरोपित किए जाने का दायी होगा जो रुपये एक सौ की होगी और किसी द्वितीय या उसके पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति जो रुपये तीन सौ तक हो सकेगी अधिरोपित किए जाने का दायी होगा.".
१२.	१९९४	१	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३.	(१) धारा ५५ की उपधारा (३-क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "(३-क) उपधारा (३) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो कोई इस धारा के किन्हीं उपबंधों का या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों का या ग्राम पंचायत द्वारा मंजूर की गई अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करता है या उपरोक्त में से किन्हीं उपबंधों के अधीन दिए गए किन्हीं विधिपूर्ण निदेशों या अध्यपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है, तो वह ग्राम पंचायत द्वारा या इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभियोजित किया जा सकेगा और दोषसिद्धि पर वह साधारण कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा और अपराध के चालू रहने की दशा में ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसको कि अपराध चालू रहता है, दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा: परन्तु, यदि अनधिकृत निर्माण, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (२०२३ का ४५) की परिभाषा के अनुसार, लोक-बाधा का कारक नहीं है और न ही मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, २०१२ (जहां लागू हैं) का उल्लंघन करता है और अधिसूचित पर्यावरणीय सुरक्षा या अधोसंरचनात्मक प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करता, तो ग्राम पंचायत या राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, ऐसे उल्लंघन का शमन, ऐसी शुल्क का भुगतान,

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)

ऐसी दर पर और ऐसी शर्तों के अधीन प्राप्त कर किया जा सकेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए.".

(२) धारा ५६ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"(१) कोई भी जो, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी सार्वजनिक मार्ग या खुले स्थलों पर या ऐसे मार्ग पर स्थित किसी नाली पर:-

(क) किसी दीवार, बाड़ा, जंगले, खम्भे, स्टाल, बरामदे, चबूतरे, कुर्सी, सीढ़ी या कोई अन्य संरचना का निर्माण करके या बनाकर; या

(ख) ग्राम पंचायत की लिखित, अनुज्ञा के बिना या ऐसी अनुज्ञा में उल्लिखित शर्तों के प्रतिकूल कोई बरामदा, छज्जा, कमरा या अन्य किसी संरचना का निर्माण इस प्रकार करके कि जिससे वह किसी सार्वजनिक सड़क पर या ऐसी सड़क पर स्थित किसी नाली पर आगे निकला हुआ प्रलंबित हो; या

(ग) किसी स्थल से मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री आपराधिक रूप से हटाकर; या

(घ) किसी चरागाह या अन्य भूमि में अप्राधिकृत रूप से खेती करके कोई रुकावट बाधा या अधिक्रमण करेगा;

ग्राम पंचायत, जाँच के पश्चात्, ऐसे कृत्य के कर्ता पर, ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो रुपये पांच हजार तक की हो सकेगी और ऐसा कृत्य चालू रहने के मामले में, ऐसी और शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी, जो प्रथमबार अधिरोपित शास्ति की तारीख के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसे कृत्य की पुनरावृत्ति करता है, रुपये दो सौ तक की हो सकेगी.".

(३) धारा ६० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"६०. **जनपद पंचायत में विहित सड़क तथा भूमि पर अधिक्रमण.**- (१) जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जनपद पंचायत में निहित किसी सड़क, मार्ग, भूमि, भवन या संरचना पर से बाधा या अधिक्रमण हटाने की शक्ति होगी. हटाये जाने के व्ययों का संदाय उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जो ऐसी बाधा खड़ी करने या अधिक्रमण करने के लिए उत्तरदायी है और पांच हजार रुपये तक की शास्ति का दायी होगा. यदि ऐसा व्यक्ति बाधा या अधिक्रमण हटाने के व्ययों का संदाय और/या शास्ति की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है,, तो ऐसी संपूर्ण राशि भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी:

परन्तु ऐसी बाधा या अधिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करने के पूर्व, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लिखित सूचना द्वारा, उस व्यक्ति से, जिसने ऐसी बाधा खड़ी की है या अधिक्रमण किया है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे हटा ले या इस संबंध में कारण दर्शित करे कि उसे क्यों न हटा दिया जाए.

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)

(२) इस धारा में की कोई बात, किसी जनपद पंचायत को त्यौहारों तथा अवसरों पर ऐसी कालावधि के लिए, जो वह उचित समझे, उपधारा (२) में उल्लिखित स्थानों का, ऐसी रीति में जिससे जनता को या किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो, अस्थायी रूप से अधिभोग करने या उस पर कोई परिनिर्माण करने की अनुज्ञा देने से निवारित नहीं करेगा.".

(४) धारा १०२ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"**१०२. पंचायतों के सदस्य आदि को बाधा पहुँचाने का प्रतिषेध.**- कोई भी व्यक्ति जो पंचायत के किसी सदस्य, पदधारी या सेवक को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके साथ किसी पंचायत द्वारा या उसकी ओर से कोई संविदा की गई है, उसके कर्तव्य के निर्वहन में या कोई ऐसी बात करने में जिसे करने के लिए वह सशक्त है, बाधा पहुँचाएगा, वह जाँच के पश्चात्, विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे कृत्य का कर्ता पाया जाने पर, ऐसी शास्ति का जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा.".

(५) धारा १०३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"**१०३. सूचना को हटाने या मिटाने का प्रतिषेध.**- कोई भी व्यक्ति, जो पंचायत या उसके किसी अधिकारी द्वारा या उसके आदेशों के अधीन प्रदर्शित की गई किसी सूचना को या परिनिर्मित किये गए किसी संकेत या चिन्ह को उस निमित्त किसी प्राधिकार के बिना हटाएगा, विनष्ट करेगा या विरूपित करेगा या अन्य प्रकार से मिटायेगा, वह जाँच के पश्चात्, विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे कृत्य का कर्ता पाया जाने पर, ऐसी शास्ति का, जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा.".

(६) धारा १०४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"**१०४. जानकारी न देने या मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति.**- कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उसके अधीन जारी की गई किसी सूचना या किसी अन्य आदेशिका द्वारा कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित किया गया है, ऐसी जानकारी देने का लोप करेगा या जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा, वह जाँच के पश्चात्, विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे कृत्य का कर्ता पाया जाने पर, ऐसी शास्ति का जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा.".

(७) धारा १०६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"**१०६. किसी भी पंचायत को नुकसान की प्रतिपूर्ति किए जाने की प्रक्रिया.**- यदि किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम द्वारा जिसके कारण किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित कोई शास्ति उपगत की है और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी पंचायत की सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचाया गया है, तो वह ऐसे नुकसान की प्रतिपूर्ति करने और साथ ही ऐसी शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा और विवाद के मामले में नुकसान का मूल्य उस, विहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा, जिसने ऐसी शास्ति उपगत करने वाले

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
				व्यक्ति को उक्त कृत्य के लिए जिम्मेदार पाया है, और ऐसे मूल्य का संदाय न किया जाने पर, वह राशि भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी.".
१३.	२००२	१५	मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, २००२.	धारा ४ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "(२) कोई व्यक्ति जो उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह ऐसी शास्ति का दायी होगा जो ग्राम सभा या स्थानीय निकाय द्वारा, उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, अधिरोपित रुपए एक हजार तक की हो सकेगी. मतभेद की दशा में संबंधित पक्षकार वे विहित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे:- (क) ग्राम सभा के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी (ख) नगरीय निकाय के लिए (नगरपालिका और नगर पंचायत)- अनुविभागीय दण्डाधिकारी (ग) नगर निगम के लिए - कलेक्टर संबंधित प्राधिकारी, सम्यक् प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश पारित करेगा.".
१४.	२००५	१	मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, २००५.	धारा ११ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "(३) राज्य सरकार इस धारा के अधीन किसी नियम को बनाते समय यह उपबंध कर सकेगी कि ऐसे नियम के उल्लंघन पर ऐसी शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी जो रुपये पांच हजार तक की हो सकेगी, और निरंतर उल्लंघन की दशा में, ऐसे निरंतर उल्लंघन के लिए प्रथम उल्लंघन की तारीख से प्रत्येक दिन के लिए ऐसी शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी जो रुपये पांच सौ तक हो सकेगी.".
१५.	२०१०	३	मध्यप्रदेश फलपौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, २०१०.	(१) धारा १४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "१४. शास्तियाँ यदि कोई व्यक्ति - (क) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम का, जिसका उल्लंघन इस धारा के अधीन शास्ति योग्य है, उल्लंघन करता है; या (ख) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त कोई अधिकार प्रयोग करने या कोई कर्तव्य पालन करने वाले किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाता है, तो वह ऐसे उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति का जो रुपए पाँच हजार तक की हो सकेगी का दायी होगा.". (२) धारा १७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "(१७) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का विचारण सम्बन्धित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एस.डी.एम.) राजस्व न्यायालय द्वारा किया जाएगा.".

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१६.	१९५४	१६	मध्यप्रदेश एनाटॉमी अधिनियम, १९५४.	धारा ६ का लोप किया जाए.
निम्नलिखित अधिनियम निरसित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं, अर्थात्:-				
१.	१९४७	४०	मध्यप्रदेश कपास (सांख्यिकी) अधिनियम, १९४७.	अधिनियम निरस्त किया जाए.
२.	१९५४	१७	मध्यप्रदेश कपास नियंत्रण अधिनियम, १९५४.	अधिनियम निरस्त किया जाए.
३.	१९५६	११	मध्यप्रदेश भारत कृषि उपज तौल विनियमन अधिनियम, १९५६.	अधिनियम निरस्त किया जाए.
४.	१९६८	२३	मध्यप्रदेश चेचक टीका अधिनियम, १९६८.	अधिनियम निरस्त किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

सरकार का उद्देश्य विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देना, अनुपालन के भार को कम करना तथा राज्य के विभिन्न अधिनियमों में गौण अपराधों के अपराधमुक्तकरण और तर्कसंगतिकरण के द्वारा ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है. उपरोक्त दृष्टि से, गौण अपराधों को अपराधमुक्त करने और दंड राशि को क्तिसंगत बनाने के लिए निम्नलिखित अधिनियमों के कतिपय उपबंधों में संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं.

२. कतिपय उपबंधों में "जुर्माने" के स्थान पर "शास्ति" स्थापित करने, कतिपय उपबंधों में "कारावास" के स्थान पर "शास्ति" स्थापित करने, कतिपय उपबंधों को विलोपित करने, कतिपय उपबंधों में प्रशमन उपबंध करने तथा कुछ अधिनियम निरसित किए जाने हेतु संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं.

३. यह विधेयक विनियमनों को सुव्यवस्थित कर निवेश आकर्षित करने, प्रशासनिक दक्षता सुधारने और शास्तियों के लिए एक न्यायपूर्ण एवं पारदर्शी ढांचा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, जो मध्यप्रदेश में सतत् विकास, उद्यमिता और व्यवसाय-अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहित करेगा.

४. ईज ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस के लिए गौण अपराधों को अपराधमुक्त करने के लिए निम्नलिखित अधिनियमों में, समुचित संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं:-

(१) मध्यप्रदेश मत्स्य अधिनियम, १९४८ (क्रमांक ८ सन् १९४८)

(२) मध्यप्रदेश एग्रीकल्चर वेअरहाउस एक्ट, १९४७ (क्रमांक १ सन् १९४८)

(३) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६)

(४) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१)

(५) मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१)

(६) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३)

(७) मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसविका, सहाय उपचारिका, प्रसविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ४६ सन् १९७३)

(८) मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४७ सन् १९७३)

(६) मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, १९७६ (क्रमांक १६ सन् १९७६)

(१०) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ (क्रमांक ११ सन् १९९०)

(११) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन् १९९१)

(१२) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४)

(१३) मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, २००२ (क्रमांक १५ सन् २००२)

(१४) मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, २००५ (क्रमांक ७ सन् २००५)

(१५) मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, २०१० (क्रमांक ३ सन् २०१०)

(१६) मध्यप्रदेश एनाटॉमी अधिनियम, १९५४ (क्रमांक १६ सन् १९५४)

५. और यह भी, राज्य सरकार कानून की किताबों में पड़े ऐसे अनावश्यक और अप्रभावी कानूनों (मध्यप्रदेश अधिनियमों) को निरसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो अप्रचालित, अनावश्यक हैं तथा अपना महत्व खो चुके हैं और निरसित किए जाना प्रस्तावित है; अर्थात्:-

(१) मध्यप्रदेश कपास (सांख्यिकी) अधिनियम, १९४७ (क्रमांक ४० सन् १९४७)

(२) मध्यप्रदेश कपास नियंत्रण अधिनियम, १९५४ (क्रमांक १७ सन् १९५४)

(३) मध्य भारत कृषि उपज तौल विनियमन अधिनियम, १९५६ (क्रमांक ११ सन् १९५६)

(४) मध्यप्रदेश चेचक टीका अधिनियम, १९६८ (क्रमांक २३ सन् १९६८)

६. अतएव, मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, २०२५ प्रस्तावित किया जा रहा है.

७. अतएव, यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपालः

दिनांक, ३१ जुलाई, २०२५.

चेतन काश्यप
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश मत्स्य अधिनियम, १६४८ (क्रमांक ८ सन् १६४८) से उद्धरण.

* * *

धारा-३ (३)- (३) ऐसे नियम,-

(क) निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों का प्रतिषेध या विनियमन कर सकेगें, अर्थात:-

(एक) स्थिर इंजनों का लगाना तथा उनका उपयोग,

(दो) बार बांधों तथा बन्दों का अस्थायी या स्थायी निर्माण,

(तीन) पाश का विस्तार, आकार तथा उपयोग में लाये जाने वाले जालों का प्रकार और उनको उपयोग में लाने का ढंग.

(चार) मत्स्य पकड़ने की एक से अधिक पद्धतियों का एक ही समय पर उपयोग

(ख) विस्फोटक पदार्थों, बन्दूक, धनुष, बांण या उसी प्रकार के किसी उपकरण द्वारा देशाभ्यन्तर जल में मत्स्योद्योग के विनाश या उनका विनाश करने हेतु किसी भी चेष्टा का प्रतिषेध कर सकेगें.

(ग) रासायनिक या अन्य किसी पदार्थ के, जिससे जल के दूषित हो जाने की सम्भावना हो, उपयोग द्वारा मत्स्यों का विनाश करने या उनका विनाश करने की किसी चेष्टा का प्रतिषेध कर सकेंगे,

(घ) ऐसे ठोस या द्रव पदार्थ को, जो कि ऐसे जल के मत्स्यों के लिये हानिप्रद हो, किसी भी जल में फेकने का प्रतिषेध कर सकेगें.

(ङ.) अनुज्ञप्ति के अधीन के अतिरिक्त मत्स्य पकड़ने का प्रतिषेध और ऐसी अनुज्ञप्ति देने, उसके लिये देय फीस और उसमें निर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों को विनियमित कर सकेगें,

(च) राज्य के भीतर या राज्य के बाहर मत्स्य के विहित परिमाण से अधिक के विक्रय या क्रय को या मत्स्य के परिवहन या संचलन को, उस स्थिति में, के सिवाय, जबकि वह अनुज्ञप्ति के अधीन किया जाता है, प्रतिषिद्ध कर सकेंगे.

(चच) उन कार्यों को विहित कर सकेगें, जिनके दौरान,-

(एक) किसी विहित जाति के मत्स्य का मारना या पकड़ना प्रतिषिद्ध होगा,

(दो) किसी विहित जाति के मत्स्य का विक्रय, संचलन या परिवहन, उस स्थिति में के सिवाय जबकि वह अनुज्ञप्ति के अधीन किया जाता है, प्रतिषिद्ध होगा.

(चचच) खण्ड (च) के और खण्ड (चच) के उपखण्ड (दो) के अधीन अनुज्ञप्तियों की मंजूरी और या उनके लिये देय फीस तथा उनसे संलग्न की जाने वाली शर्तों का विनियमन कर सकेगें, और

(छः) ऐसा न्यूनतम आकार या वजन विहित कर सकेंगे, जिससे कम आकार या वजन के किसी भी विहित जाति के किसी भी मत्स्य का विक्रय नहीं किया जायेगा.

(५) इस धारा के अधीन किसी नियम को बनाने में राज्य शासन निम्नलिखित के लिये उपबंध कर सकेगाः-

(क) किसी स्थिर इंजिन, साधित्र या उपस्कर के, जो मत्स्य पकड़ने के लिये इन नियमों के उल्लंघन में लगाया गया हो, या उपयोग में लाया गया हो, अभिग्रहण, उसके हटाये जाने और उसके समपहरण के लिये,

(ख) किसी ऐसे मत्स्य के समपहरण के लिये जो किसी ऐसे स्थिर इंजिन, साधित्र या उपस्कर द्वारा उपाप्त किये गये हों अथवा जिनका परिवहन इन नियमों के उल्लंघन में किया गया हो, और

(ग) इन नियमों के उल्लंघन में मत्स्य का परिवहन करने या उन्हें पकड़ने के लिए उपयोग में लाये गये किन्हीं पशुओं, गाड़ियों (कार्ट) जलयानों, बेड़ों (रकेट्स) नौकाओं या यानों के अधिग्रहण, उनके हटाये जाने और उनके समपहरण के लिये.

* * *

धारा ५- शास्तियां-

यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए उपबंधो मे से किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा तो वह, दोषसिद्ध पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा.

धारा ५-क- इस अधिनियम के अधीन का प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा.

धारा ८- (१) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का समन कलेक्टर द्वारा १००० रूपये से अनधिक कोई राशि प्रतिग्रहित करके किया जा सकेगा.

(२) अपराध का समझौता हो जाने पर अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया जावेगा और उसके कब्जे से अभिग्रहण की गई सम्पत्ति सम्मोचित कर दी जायेगी.

* * *

मध्यप्रदेश एग्रीकल्चर वेअरहाउस एक्ट, १९४७ (क्रमांक १ सन् १९४८) से उद्धरण.

* * *

धारा २३- दण्ड

कोई भी व्यक्ति जो जानकारी रहते हुए और जानबूझकर इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों अथवा अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है, दण्डाधिकारी दोषसिद्ध पर, तीन वर्ष के कारावास से अथवा अर्थ दण्ड से अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा. परन्तु यह कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध, न्यायालय की सहमति से राजीनामा योग्य रहेंगे.

* * *

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) से उद्धरण.

* * *

धारा १९५(५)-यदि किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी इस धारा के अधीन सूचना या आदेश की तामील के बावजूद उसमें उल्लिखित कार्य, यथास्थिति, उस सूचना या आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधी के भीतर करने मे असफल रहता है, तो आयुक्त, जुर्माना, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा और सूचना में उल्लिखित कार्य पूर्ण नहीं होने तक और अतिरिक्त जुर्माना, जो दो सौ रूपए प्रतिदिन तक का हो सकेग., अधिरोपित करेगा:

परन्तु इस धारा के उल्लंघन के संबंध में जमाने के लिए कार्यवाहियां करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयुक्त अपने अभिकरण के माध्यम से उक्त कार्य करवा सकेगा और बारहवें अध्याय में उपबंधित रीति में, यथास्थिति, उसके स्वामी या अधिभोगी से, इससे संबंधित उपगत व्यय वसूल कर सकेगा.

* * *

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) से उद्धरण.

* * *

धारा २०८(५)- यदि किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी इस धारा के अधीन सूचना या आदेश की तामील के बावजूद उसमें उल्लिखित कार्य, यथास्थिति, उस सूचना या आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधी के भीतर करने में असफल रहता है, तो परिषद, जुर्माना, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगी और सूचना में उल्लिखित कार्य पूर्ण नहीं होने तक और अतिरिक्त जुर्माना, जो दो सौ रूपए प्रतिदिन तक का हो सकेगा, अधिरोपित करेगा:

परन्तु इस धारा के उल्लंघन के संबंध में जुर्माने के लिए कार्यवाहियां करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद अपने अभिकरण के माध्यम से उक्त कार्य करवा सकेगी और बारहवें अध्याय में उपबंधित रीति में, यथास्थिति, उसके स्वामी या अधिभोगी से, इससे संबंधित उपगत व्यय वसूल कर सकेगी.

* * * *

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१) से उद्धरण.

* * *

धारा ३५- शास्ति

जो व्यक्ति जानबूझकर या गलत तरीके से अपने नाम के साथ कोई ऐसी उपाधि (डिग्री) या पहचान का इस्तेमाल करता है, या अपने नाम के साथ ऐसा विवरण जोड़ता है जिससे यह लगे कि उसके पास मान्य योग्यता है, या वह पंजीकृत व्यवसायी है या उसका नाम धारा २८ के तहत बनायी गयी सूची में दर्ज है, या धारा ३४ के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे पहले अपराध के लिए पांच सौ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और उसके बाद के हर अपराध के लिए एक हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वह दण्डनीय होगा.

* * *

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) से उद्धरण.

* * *

धारा ४८- धारा ६ या धारा ३१ या धारा ३७ (२) के उल्लंघन के लिए शास्ति

जो कोई धारा ६ के खण्ड (ख) [या धारा ३१ या धारा ३७ की उपधारा (२)], के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह दोष सिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में ऐसे और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके कि दौरान उल्लंघन चालू रहे, एक सौ रुपये तक का धारा ६ के खण्ड (ख) के उल्लंघन के मामले में तथा पचास रूपये तक का [धारा ३१ या धारा ३७ की उपधारा (२)], के उल्लंघन के मामले में हो सकेगाः

परन्तु न्यायालय के निर्णय में विशेष तथा पर्याप्त प्रतिकूल कारणों के वर्णित न होने पर द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिये दण्ड तीन मास की अवधि के कारावास तथा पांच सौ रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगा.

धारा ४९ अन्य धाराओं के उल्लंघन पर शास्ति-

(१) जो कोई धारा ३५ के उपबन्धों के उल्लंघन में, कोई अप्राधिकृत व्यापारिक छूट देगा या लेगा, वह दोष सिद्धि पर, कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा तथा पश्चात्वर्ती उल्लंघन की दशा में कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

(२) जो कोई मण्डी समिति द्वारा मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करेगा, वह दोष सिद्धि पर, जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा दण्डित किया जायेगा.

* * * *

(४) यदि मंडी समिति का कोई अधिकारी, सेवक या सदस्य, जबकि वह मंडी समिति के कार्यकलापों या कार्यवाहियों के बारे में जानकारी देने के लिए धारा ५४ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन अपेक्षित किया जाय,-

(क) कोई जानकारी देने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा या कोई जानकारी देने से इंकार करेगा; या

(ख) जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा;

तो वह, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा.

* * * *

(६) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के उपबन्धों के अधीन मण्डी समिति को शोध्य किसी फीस या अन्य राशि के भुगतान में कपटपूर्वक अपवंचन करेगा या किन्हीं तुलैयों या हम्माल को पारिश्रमिक लेखे शोध्य भुगतान करने में अपवंचन या अपने नियोजन के लिये पारिश्रमिक की माँग विक्रेता अथवा क्रेता के प्राधिकार के बिना करेगा या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अनुसार न माँग कर अन्य प्रकार से पारिश्रमिक की माँग करेगा, वह दोष सिद्धि पर, जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा और चालू रहने वाले अपराध की दशा में ऐसे और जुर्माने से दंडित किया जायेगा जो उसके लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसके कि दौरान ऐसा अपराध चालू रहे, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा.

(७) जो कोई इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों में से किसी भी नियम या उपविधि के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, वह, यदि उस अपराध के लिये कोई अन्य शास्ति उपबन्धित न की गई हो, जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा.

* * * *

धारा ७९ (३) नियम बनाने की शक्ति-

किसी नियम को बनाने में राज्य सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उसका भंग जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

धारा ८० (३) उपविधियाँ बनाने की शक्ति-

किसी उपविधि को बनाने में मण्डी समिति यह निर्देश दे सकेगी कि उसका (उपविधि का) भंग जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा तथा जहाँ भंग चालू रहने वाला भंग हो, वहाँ ऐसे और जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम भंग के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके कि दौरान् भंग चालू रहना साबित हो जाय, पाँच सौ रुपये तक हो सकेगा.

* * * *

मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ४६ वर्ष १९७३) से उद्धरण.

* * *

धारा २३- इस अधिनियम में उपबंधित अवस्था को छोड़कर व्यवसाय करने का प्रतिषेध

(१) इस अधिनियम में उपबंधित के अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति राज्य में उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका, स्वास्थ्य परिदर्शक या दाई के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा और न स्वयं को, चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उस रूप में अभ्यासतः या वैयक्तिक अभिलाभ के लिये व्यवसाय करने वाले के रूप में बतलायेगा.

(२) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (१) के उपबंध का उल्लंघन करता है, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा.

* * *

मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थानपनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४७ वर्ष १९७३) से उद्धरण.

* * *

८- कोई भी व्यक्ति-

(क) जो धारा ३ के उपबंधों का उल्लंघन करेगा; या

(ख) जो धारा ७ की उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा; या

(ग) जो किसी उपचर्यागृह या रुजोपचार संबंधी स्थापना के संबंध में इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति का धारक होते हुए, ऐसे उपचर्यागृह या रुजोपचार संबंधी स्थापना को असमाजिक या अनैतिक प्रयोजनों के लिए या दोनों के लिए उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाए जाने की अनुज्ञा देगा;

अपराध का दोषी होगा तथा-

(एक) प्रथम अपराध के लिए दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा, और

(दो) द्वितीय या पश्चात् वर्ती अपराध के लिए दोषसिद्धि पर कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा, और इसके अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसको की अपराध दोषसिद्धि के पश्चात् चालू रहे, पच्चीस रुपये तक का होगा.

कमियों के लिए शास्ति-

८-क. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी कमी हो जाती है जिससे किसी रोगी के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ऐसी आसन्न संकट प्रदर्शित होता हो, जो युक्तियुक्त समय के भीतर ठीक किया जा सकता है, ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा."

अननुज्ञप्त तथा रजिस्ट्रीकृत उपचर्यागृह या रुजोपचार संबंधी स्थापना में सेवा करने के लिए शास्ति.

१०- कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे उपचर्यागृह या रुजोपचार संबंधी स्थापना में जो कि इस अधिनियम के अधीन सम्यक्रूपेण रजिस्ट्रीकृत तथा अनुज्ञप्त नहीं है या जो असामाजिक या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है./लाई जाती है. जानबूझकर सेवा करता है, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

* * *

मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, १९७६ (क्रमांक १९ वर्ष १९७६) से उद्धरण.

* * *

धारा ५० - शास्ति यह धारा किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत् बने नियमों का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने और दण्ड के बारे में है. यदि कोई व्यक्ति पहली बार उल्लंघन करता है तो उसे दोषी पाये जाने पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा. यदि ऐसा उल्लंघन करने वाला कोई संगठन (संस्था) है, और उस संगठन का कोई भी सदस्य जानबूझकर इस उल्लंघन को अधिकृत करता है या उसकी अनुमति देता है तो उसे भी दोषी पाये जाने पर पहली बार एक हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा इसके बाद के प्रत्येक उल्लंघन (पश्चातवर्ती दोषसिद्धि) के लिए, दो हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

* * *

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, १९८७ (क्रमांक ११ वर्ष १९९०) से उद्धरण.

* * *

शास्ति २४ - यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में अंकित नहीं है, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रुप में व्यवसाय करेगा तो वह, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगाः

* * *

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन् १९९१) से उद्धरण.

* * *

धारा १२ - प्रमाण-पत्र (टोकन) का अनुदान

(१) जहां किसी मोटरयान के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट कालावधि के लिए कर का संदाय किया जाता है, या यदि उसके लिए ऐसा कोई कर देय नहीं है तो करायान प्राधिकारी,-

(क) ऐसे व्यक्ति को, उक्त कालावधि के दौरान राज्य में मोटरयान का उपयोग करने के लिए टोकन ऐसे प्रारूप में प्रदान करेगा जैसा कि विहित किया जाए; और

(ख) मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में यह अभिलिखित करेगा कि मोटरयान के संबंध में उक्त कालावधि के लिए कर का संदाय किया जा चुका है अथवा कोई कर देय नहीं है:

परन्तु जहाँ इस अधिनियम के अधीन जीवनकाल-कर देय है वहाँ किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कर के संदाय का रजिस्ट्रीकरण

प्रमाण-पत्र में उल्लेख कर दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को कोई टोकन प्रदान नहीं किया जायेगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रदान किया गया प्रत्येक टोकन सम्पूर्ण राज्य में विधिमान्य होगा.

(३) कोई मोटरयान राज्य में किसी भी समय तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक कि ऐसी कालावधि के दौरान उसके उपयोग के लिए अनुज्ञा देने का टोकन अभिप्राप्त करके यान पर प्रदर्शित नहीं किया जाता है और जो कोई ऐसा करने में असफल रहता है जुर्माने से, जो ५० रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

धारा १७ - अपराध के लिए दण्ड का सामान्य प्रावधान

जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, प्रथम अपराध के लिये, जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा और किसी द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिये जुर्माने से, जो तीन सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ की उक्त दोनों धाराओं में निम्न संशोधन प्रस्तावित है:-

१. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ की धारा-१२ को विलोपित किया जाना है.

२. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ की धारा-१७ में संशोधन किया जाना है. जिसमें 'जुर्माने' शब्द को 'शास्ति' शब्द से अधिरोपित किया जाना है.

मध्यप्रदेश राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन्‌ १९९४) से उद्धरण.

धारा ५५ (३-क) - भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण

(३-क) उपधारा (३) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जो कोई इस धारा के किन्हीं उपबंधों का या उसके अधीन बनाए गये नियमों या उपविधियों का या ग्राम पंचायत द्वारा दी गई अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करता है या उपरोक्त में से किन्हीं उपबंधों के अधीन दिये गये किन्हीं विधिपूर्ण निदेशों या अध्यपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है, तो वह ग्राम पंचायत द्वारा या इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभियोजित किया जा सकेगा और दोषसिद्धि पर वह साधारण कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, और अपराध के चालू रहने की दशा में ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात्‌ प्रत्येक दिन के लिये जिसको कि अपराध चालू रहता है, दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा.

* * *

धारा ५६ (१) - सार्वजनिक मार्गों तथा खुले स्थलों पर रुकावटे, बाधा तथा अधिक्रमण

(१) कोई भी जो, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी सार्वजनिक मार्ग या खुले स्थलों पर या ऐसे मार्ग पर स्थित किसी नाली पर:-

(क) किसी दिवाल, बाड़, जंगले, खम्भे, स्टाल, बरामंदे, चबूतरे, कुर्सी, सीढ़ी या कोई अन्य संरचना का निर्माण करके या बनाकर; या

(ख) ग्राम पंचायत की लिखित, अनुज्ञा के बिना या ऐसी अनुज्ञा में उल्लिखित शर्तों के प्रतिकूल कोई बरामदा, छज्जा, कमरा या अन्य किसी संरचना का निर्माण इस प्रकार करके कि जिससे वह किसी सार्वजनिक सड़क पर या ऐसी सड़क पर स्थित किसी नाली पर आगे निकला हुआ प्रलंबित हो; या

(ग) किसी स्थल से मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री आपराधिक रूप से हटाकर; या

(घ) किसी चरागाह या अन्य भूमि में अप्राधिकृत रूप से खेती करके कोई रुकावट, बाधा या अधिक्रमण करेगा,

जुर्माने से, जो [एक हजार रुपये] तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले अपराध के मामले में ऐसे और जुर्माने से जो ऐसे अपराध के लिये प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात्‌ ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान ऐसा अधिक्रमण, बाधा चालू रहती है या आगे निकला हुआ भाग बना रहता है, [बीस रुपये] तक का हो सकेगा, दण्डित किया जा सकेगा.

* * *

धारा ६० - जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमियों पर अधिक्रमण

(१) जो कोई, जनपद पंचायत में निहित किसी सड़क, मार्ग, भूमि, भवन या संरचना पर कोई परिनिर्माण करेगा यह अधिक्रमण करेगा या कोई बाधा खड़ी करेगा, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो [एक हजार रुपये] तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा.

(२) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी बाधा या अधिक्रमण हटाने की शक्ति होगी और इस प्रकार हटाये जाने के व्ययों का संदाय उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसने उक्त बाधा खड़ी की है या अधिक्रमण किया है तथा उसके द्वारा संदाय न किया जाने पर उसे भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जा सकेगा :

परन्तु मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी बाधा या अधिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करने के पूर्व, लिखित सूचना द्वारा, उस व्यक्ति से, जिसने ऐसी बाधा खड़ी की है या अधिक्रमण किया है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे हटा ले या इस संबंध में कारण दर्शित करे कि उसे क्यों न हटा दिया जाए.

(३) इस धारा में की कोई बात, किसी जनपद पंचायत को त्यौहारों तथा अवसरों पर ऐसी कालावधि के लिये, जो वह उचित समझे, उपधारा (१) में उल्लिखित स्थानों का, ऐसी रीति में जिससे जनता को या किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो, अस्थायी रूप से अधिभोग करने या उस पर कोई परिनिर्माण करने की अनुज्ञा देने से निवारित नहीं करेगा.

धारा १०२ - पंचायतों के सदस्य आदि को बाधा पहुँचाने का प्रतिषेध

कोई भी व्यक्ति जो पंचायत के किसी सदस्य, पदधारी या सेवक को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके साथ किसी पंचायत द्वारा या उसकी ओर से कोई संविदा की गई है, उसके कर्तव्य के निर्वहन में या कोई ऐसी बात करने में जिसे करने के लिये वह सशक्त है, बाधा पहुँचाएगा वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा.

धारा १०३ - सूचना को हटाने या मिटाने का प्रतिषेध

कोई भी व्यक्ति, जो पंचायत या उसके किसी अधिकारी द्वारा या उसके आदेशों के अधीन प्रदर्शित की गई किसी सूचना को या परिनिर्मित किये गये किसी संकेत या चिन्ह को उस निमित किसी प्राधिकार के बिना हटाएगा, विनष्ट करेगा या विरूपित करेगा या अन्य प्रकार से मिटायेगा वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा.

धारा १०४ - जानकारी न देने या मिथ्या जानकारी देने के लिये शास्ति

कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों द्वारा उसके अधीन जारी की गई किसी सूचना या किसी अन्य आदेशिका द्वारा कोई जानकारी देने के लिये अपेक्षित किया गया है, ऐसी जानकारी देने का लोप करेगा या जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा.

* * *

धारा १०६ - किसी भी पंचायत को नुकसान की प्रतिपूर्ति किये जाने की प्रक्रिया

यदि किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम द्वारा जिसके कारण किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित कोई शास्ति उपगत की है और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी पंचायत की सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचाया गया है, तो वह ऐसे नुकसान की प्रतिपूर्ति करने और साथ ही ऐसी शास्ति का संदाय करने के लिये दायी होगा और विवाद के मामले में नुकसान का मूल्य उस मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाएगा, जिसने ऐसी शास्ति उपगत करने वाले व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराया है और भंग करने पर ऐसे मूल्य का संदाय न किया जाने पर, वह राशि भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी.

मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, २००२ (क्रमांक १५ सन् २००२) से उद्धरण.

* * *

धारा ४ - शिक्षा प्राप्त करने का बालक का अधिकार

(१) कोई भी व्यक्ति ५ से १४ वर्ष की आयु समूह के किसी भी बालक को स्कूल में उपस्थित होने से नहीं रोकेगा.

(२) उपधारा (१) के उपबंधों का अतिक्रमण करने वाला कोई व्यक्ति जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, जुर्माना संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ग्राम सभा या स्थानीय निकाय द्वारा अधिरोपित किया जा सकेगा. इस प्रकार अधिरोपित किया गया जुर्माना भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जाएगा.

* * *

मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, २००५ (क्रमांक १ सन् २००५) से उद्धरण.

धारा ११ - नियम बनाने की शक्ति

(१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता को प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के संबंध में उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) धारा २ के खण्ड (क) के अधीन खनिजधारी भूमि के वार्षिक मूल्य का अवधारण;

(ख) धारा २ के खण्ड (ख) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति;

(ग) धारा २ के खण्ड (ग) के अधीन अपील प्राधिकारी की नियुक्ति;

(घ) उस खनिजधारी भूमि के संबंध में जिसमें खनिज उत्पादित नहीं हुआ हो, धारा ३ की उपधारा (२) के परन्तुक के अधीन कर का अवधारण;

(ङ) धारा ३ एवं उपधारा (३) के अधीन समिति की नियुक्ति;

(च) विवरणियों तथा अन्य सुसंगत जानकारी का प्रस्तुत किया जाना, जो धारा ४ एवं उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो;

(छ) जहाँ व्यक्ति धारा ४ की उपधारा (१) के परंतुक के अधीन एक से अधिक खनिज के लिए खनिजधारी भूमि धारण करता हो, वह कर का भुगतान;

(ज) सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन कर का निर्धारण;

(झ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रावधान; और

(ञ) समस्त अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किए जाएं या जिनका विहित किया जाना अपेक्षित हो.

(३) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन नियम बनाने में यह उपबंध कर सकेगी कि किसी नियम का भंग होने पर ऐसे जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा और जहाँ भंग चालू रहने वाला हो, वहाँ ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथमबार भंग के पश्चात्, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान भंग जारी रहे, पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

(४) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

*　　*　　*

मध्यप्रदेश फल पौध रौपणी (विनियमन) अधिनियम, २०१० (क्रमांक २६ सन् २०१०) से उद्धरण.

धारा १४- शास्तियाँ

यदि कोई व्यक्ति;-

(क) इस अधिनियम के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंघन करता है या उसके अधीन बनाए गए नियमों के ऐसे उपबंधो का उल्लंघन करता है, जिनका कि उल्लंघन इस धारा के अधीन दण्डनीय बनाया गया है; या

(ख) किसी अधिकारी या व्यक्ति को, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गई किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने में या उस पर अधिरोपित किये गये कर्तव्यों का अनुपालन करनें में बाधा उत्पन्न करता है, वह दोषसिद्धि पर कारावास से जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा.

*　　*　　*

धारा-१७, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा.

*　　*　　*

मध्यप्रदेश एनाटॉमी अधिनियम, १९५४ (क्रमांक १६ सन् १९५४) से उद्धरण.

* * *

धारा ६- उल्लंघन पर शास्ति

कोई इस अधिनियम द्वारा अनुमत किए जाने के अतिरिक्त किसी बिना दावे की मृत देह का निपटान करता है या ऐसे निपटान में सहायक होता है, या किसी स्वीकृत संस्थान के प्राधिकृत प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी मृत देह को सौंपने, उसका कब्जा लेने, हटाने या इस अधिनियम में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग करने से रोकता है, वह दोषसिद्ध पाए जाने पर, पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा.

* * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.